कायोलय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर। दिनांक:- /9//2/24

क्रमांक:— व—15(44)आरपीए/जन/एन्टीवायरस/2024/ 1059

अकादमी में कम्प्यूटर सम्बन्धित सामान के रख-रखाव एवं अन्य कार्य के लिए उपापन हेतु दर संविदा की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द बोलियां दिनांक 01.01.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 01.01.2025 दोपहर 2.30 बजे तक आंमत्रित की जाती है। उक्त बोली आंमत्रण सूचना <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u> पोर्टल एवं <u>www.rpa.rajasthan.gov.in</u> वेबसाइट पर देखी जा सकती है-

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि	बयाना राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	संस्था परिसर के कम्प्यूटर एवं लेपटॉप को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 237 एन्टी वायरस क्रय किया जाने हेतु। (परिशिष्ट-ए के अनसार)	(লাঅ) 2.55 লাঅ	अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत	200.00 ন্ড.	01.01.2025 दोपहर 3.30 बजे

निविदा शर्ते:-

निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित

शुल्क (बैकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 01.01.2025 दोपहर 2. 30 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा/बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 01.01.2025 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। 3.

निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिक्री कर प्रमाण पत्र, बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 5.

जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य 7.

क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित

करने का श्रम करें।

3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।

4. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल 5. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

6. प्रभारी सींडीपीएसएम / स्टेशनरी / कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।

7. संचित निरीक्षक (क्वार्टर मास्टर), आर.पी.ए. जयपुर।

2

नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर। क्रमांक:- व-15(44)आरपीए/जन/एन्टीवायरस/2024/

निविदा प्रारूप वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

1.	संस्था स्थित कम्प्यूटर, लेपटॉप, की सुरक्षा के लिए एन्टीवायरस क्रय किया जाने हेतु।
2.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता ई—मेल एवं मोबाईल नं0 ई— -
	५—मल १५ गापार्था
	बोलीदाता का :- पैन नं
	ਵਿਚ ਜ਼
	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.
	किसको सम्बोधित की गयी–निदेशक राजस्थान पुलिस अकदिमां, जयपुर।
4.	सन्दर्भ :-
5.	सन्दर्भ :- निविदा शुल्क की राशि रू 200/- बैकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं दिनांक के द्वारा
6.	जिमा करा दा गई है। निविदा बोली प्रतिभूती राशि रूपये 5,110/- बैंकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट संख्यादिनांकदिनांकके
7.	द्वीरी जमी करा दे। गई है। निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्यादिनांक के ये किये जाने के
	नाभी बार्च में राज्य पासर दिसंह यामा पहला पर उत्तम उल्लाप्ति राता पर होगा रागा ।
	प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो में बाध्य होना स्वीकार करते
	충
8.	सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।
9.	निविदाएं तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल
	निविदादाताओं की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी।
10	कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनसार घटाई एवं बढाई जा सकती है।
11	इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
11.	विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
12.	निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।
	निविद्या रात मर द्वारा दख ला गया ह तथा अत्यक मुच्च मर दरताबार मर नम् नम् दन

निविदादाता के हस्ताक्षर

अकादमी में कम्प्यूटर ,लेपटॉप, को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 237 एन्टीवायरस क्रय किया जाने हेतु एक वर्षीय दर संविदा की जानी बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्ते :-

- 1. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला / विवर्जित / अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रूपये 100 / के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।) शपथ पत्र निविदा जारी होने की बाद की अविध का होना अनिवार्य है फोटो प्रति मान्य नहीं होगी।
- 2. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
- 3. तकनीकी बोली में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसके लिए पृथक से सूचना जारी की जावेगी।
- 4. बोलीदाता के पास 3 वित्तीय वर्षो 2021–22, 2022–23 व 2023–24 मे राशि रूपयें 06.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए।
- 5. 03 वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता/लाभ–हानि खाता/बैलेन्स सीट संलग्न करें इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 6. सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । सी.ए. के द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 7. निविदादाता को सरकारी विभाग में / स्वायत्त शासित संस्थाओं / अर्द्ध—सरकारी संस्थाओं में निविदा कार्य / समान कार्य में अनुभव होना चाहिए जिसके लिए कम से कम 3 वित्तीय वर्षो 2021—22, 2022—23 व 2023—24 के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 5 लाख का कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी तथा संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र अद्यतन प्रस्तुत करना होगा।
- 8. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पेन कार्ड की स्व—सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
- 9. बोलीदाता को जी.एस.टी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।) जी.एस.टी में पंजीकृत नहीं होने पर 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा।
- 10. बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D एवं समस्त दस्तावेजों पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)

नोट :- उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने एवं हस्ताक्षरित बोली प्रपत्र मय सलंग्नक प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियाँ खोली जावेगी।

A .

X

Dr

सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

बोलीदाता को निर्देश:--

- 1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्वति (द्वि—भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड और वित्तीय बिड को अलग—अलग लिफाफों में रखा जायेगा यदि वित्तीय बिड को खुले रूप से तकनीकी बिड के साथ रखा गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी। अतः दोनो बिड को अलग—अलग लिफाफों में रखा जाकर दोनो बिडों को एक तीसरें लिफाफों में रखा जाना चाहिए। लिफाफे पर निविदा कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
- 2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी बोली के साथ जमा कराना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 3. सफल बोलीदाता / अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
- 4. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
- 5. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य—सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी.**/एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 6. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होगें।
- 7. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- 8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
- 9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
- 10. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 का नियम 29 (2—ज) प्रभावी होगा।

A. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :--

1. उपाप्त की जाने वाली सेवाओं हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

2. कार्यादेश जारी तिथि से 2 दिवस में कार्य करना होगा परन्तु आपातकालीन परिस्थित में कार्य समान दिवस को भी करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, जिसकी पालना संवेदक को करनी अनिवार्य होगी। कार्य आदेशित समय पर पूर्ण नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।

3. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर

संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।

4. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति / कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता / संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

A. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्घारण प्रक्रिया :--

- 1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिंड सिमिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
- 2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2012 व नियम—2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
- 3. "वित्तीय प्रस्ताव" मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
- 4. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है।
- 5. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार (यदि लागू हो) तो पृथक—पृथक दर्शाया जावे। प्रभार पृथक से नही दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सिहत मानी जाऐगी। नियमानुसार जी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।
- 6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

31

अनिवार्य होगी। कार्य आदेशित समय पर पूर्ण नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।

.3. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।

4. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति / कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता / संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

A. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :--

- 1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिंड सिमिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
- 2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 व नियम—2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
- 3. "वित्तीय प्रस्ताव" मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
- 4. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है।
- 5. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार (यदि लागू हो) तो पृथक—पृथक दर्शाया जावे। प्रभार पृथक से नही दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सिहत मानी जाऐगी। नियमानुसार जी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।
- 6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम सिमति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

d)

D

B. <u>अन्य शर्ते / अनुदेश</u> :--

- ं। निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा—खर्चा नहीं दिया जायेगा।
 - 2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 - 3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
 - 4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक 'सं')। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/— एवं राशि रूपये 10000/— निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
 - 6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
 - 7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम—2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले दिशा—निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पताः—

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest: Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict ofinterest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one

Bid; or

'f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the

Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

ln	relation	to	my/our	Bid	sub	mitte	d to	•••••••••	for	procurem	ent of
••••	••••••		in respo	onse	to	the	Notice	Inviting	Bid	No	Dated
••••	l/w	ve h	ereby de	clare	und	er Se	ction 7 d	of Rajastha	an Tra	ansparency in	Public
Pro	ocuremer	nt Ac	t 2012	that				3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place :

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Ad

51

-S

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process	
The designation and address of the First Appellate Authority is	
The designation and address of the Second Appellate Authority is	
1)Filing an appeal	

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by aBidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
 - (4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(f)

(5)Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
- (b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
 - . (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.
- Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
- (i)hear all the parties to appeal present before him: and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum	of Appeal under the Ra	jasthan T	ransparency in	Public Pro	ocurement
Act, 2012					

Appeal No.....of....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

- 1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii)Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
- 2. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
- 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

4

S

6.`	Grounds of appeal
	(Supported by an affidavit)
	Prayer:
	Place
	Date

Appellants Signature

Annexure D: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying ١. the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals 11. shall prevail and the total shall be corrected and
- If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the 111. amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case he amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

2. Correction of arithmetical errors

- At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in (i)the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in ne Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

शपथ पत्र (100 रूपये)

4	
-म.	***************************************

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अद्धेसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है। बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर पूर्ण पता टेलीफोन नं.

<u>''वित्तीय प्रस्ताव''</u>

(बोली प्रपत्र –प्राईस बीड)

•	Later Marie	_
ब़ोली आमंत्रण सूचना कमांकः	े दिनांक के विस्तु बोली	7
1	के लिए बोली	
2.बोली प्रस्तुत करने वाली फर्मः— का नाम, डाक का पूर्ण पताः— नम्बर एवं ईमेल आईडीः— 3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :— ि 4. सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना सर दिनांक	तीय बिंड अलग—अलग निकाया न प्रस्तुत न त्तीय बिंड खोली जावेगी। अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। दिनांक द्वारा राशि य, संलग्न करें। वणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है। गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर न	
उपरिलेखन (Overwriting) (ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:–'टैक्स पेड 11. बोली भरने की प्रक्रिया:–	ो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Ei) नहीं होवें। इ, कर सहित 'एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं वेस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा ली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार	ों किया जावे। की शर्तों में उल्लेखित कर

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Se de la constant de

	वित्तीय प्र	स्ताव	7			
Sr. No.	Item Name	Quantity	Per Unit Price	Total Price	Total GST	Total Price including GST
1.	Seqrite Endpoint Security (EPS) –Total	237				

Seqrite Endpoint Security (EPS) –Total (Total Units= 237)

Features and Terms/Condictions

Sr. No.	Features			
1	Component of End Point Protection Software/Appliance offered in the scope of supply (Policy Management, Centralized Management, Updation and Upgradation Management, Advanced Endpoint Protection, Device Control, Data Loss Protection, Mobile and Virtual Environment)			
2	Software Version - Latest			
3	Licence- 1 Year Duration			
4	Licence Delivery Mode - Electronic Licence			
5	The offered product have support from OEM for (Updation for Patches and Bug fixes within support period, Upgradation of version within support period)			
6	Training Options - On-Site, Virtual, Training Material			
7	Centralized Management Features - Defining and Managing Configuration, Policy Editing, Scalability, Exception Management, Application Control, Automatic Client Updates, Live Security Alerts, Mass Updates, Remote Software Installation and Updates, Reporting, Cloud-Assisted Security Network			
8	Updation and Upgradation Features - Deploy, manage, and update agents and policies from one management platform, Automatic updates, DAT files rollback in case of issues with new DATs, Offline update support.			
9	Advanced Endpoint Protection Features - Blended Threats/Malware Protection, (HIPS)/Behavioural Analytics, HTTP Malware Detection, HTTPS Malware Detection, Automated Malware and Threat Removal, Web Filtering, Suspicious email attachments scanning, Enhanced remediation capabilities, Global Threat Intelligence with Reputation Source configuration capability, Advanced Protection against fileless attack methods, Data Ptrotection /Full disk and file encryption, Data backup / Data recovery / Roll Back, Memory Protection, Advance machine learning and AI based next generation End point security,			
	Integration with a sandboxing solution for APT detection, Application startup			
10	Device Control Features - Multiple Device Support, USB Device Access Control and Monitoring, Workstations, Offline Support and Forensics, Device Authentication Capability.			

-0

	11.	Mobile and Virtual Environment Features - Mobile Security to detect mobile threats and prevent against zero day attacks, Virtualized Environments, Highlight privacy risks, Actionable mobile threat intelligence.				
	12	Any additional features - Anti-virus feature, Anti-malware feature, Anti-ransom ware, Personal Firewall, Web Control / URL filtering, Host integrity, Signature based Protection, Browser protection, Anti-Theft Protection.				
1	13	Operating System required - Windows, Mac, Linux, iOS)				
t	14	Backend Web browsers required - Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla				
		Firefox, Safari, Opera.				
	15	MAF: Mandatory Bid specific MAF				

8

A 1

ATC (Additional Terms & Condictions)

Online & Offline Patch Management: Must have capability to Install missing patches for Microsoft applications, Install missing patches for non-Microsoft applications. i.e.: Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Flash Player, VLC, Java, Putty, Notepad++, 7-Zip, Mozilla Firefox and Thunderbird, patch applications on air-gapped endpoints, which don't have (or may have limited) connectivity with the central EPS server. Must have capability to scan and report vulnerabilities present in installed applications.

File Activity Monitor & Data Backup, Restore Feature:

Must have the capability to monitor activities related to file handling such as copy, delete, rename on local drives, removable drives and network drives. Capability to Backup and restore data, so that in case of Ransomware attack data can be easily retrieved.

Device Control Feature: Must have the capability to grant allow, block, read-only access to various devices, allow or block Windows Portable devices & Mobile devices to the endpoints, encrypt USB Pen Drive contents and make it accessible only on endpoints, allow access of USB Pen drives temporarily using OTP to authorized users, connect to only whitelisted Wi-Fi SSID. Must have the capability to prevent a user from accessing the operating system in safe mode.

Asset Management Feature: Must have the capability to collect System, Software and Hardware information related to endpoints, track software changes on endpoints i.e. applications installed/uninstalled, hardware changes on endpoints, display complete Software license key for Windows OS and MS Office (last 5 digits)

Technical Support: Standard Deployment Support directly from OEM, ISO 20000 Certified Technical Support, ISO 27001:2013 Certified, Level1 Technical Support directly from OEM, In house Threat Research Competency with intelligence coming millions of nodes. Solution should have its own indigenous developed Antivirus Scan Engine. The Solution should have AV- Test Certification for Endpoint security and ISO 27001 in Data protection and Privacy. Anti Ransomeware patent Technology..

Bidder Experience - Bidder should have Experience in Govt. Segment of Similar Work. And Attach one or more purchased order.

Installation - by Bidder

MAF: Mandatory Bid specific MAF

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

A X